सरकार	आवेदन शुल्क	अतिरिक्त शुल्क (बी.पी.एल. आवेदकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाएगा)					रिकार्ड निरीक्षण	भुगतान
जम्मू और कश्मीर	रु 50/- या नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपरः 50/-	ए-4 / ए-3 कागज रु 10/-, लीगल कागज़ रु 15/-	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपोर्ट के लिए नियत मूल्य या रु 2/- प्रति पेज फोटोकापी या एक्सट्रैक्ट के लिए	फ्लॉपी रु 75/- या सी.डी. के लिए रु 100/-	सैम्पल / मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पश्चात् हर घंटे के लिए रु 15/-	नगद, डिमांड ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चैक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर
केन्द्र	रु 10/-	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रु 2/- प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपोर्ट के लिए नियत मूल्य या रु 2/- प्रति पेज फोटोकापी या एक्सट्रैक्ट के लिए	फ्लॉपी या सी.डी. के लिए रु 50/-	सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पश्चात् हर घंटे के लिए रु 5/-	नगद, डिमांड ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चैक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर

जानकारी न मिलने पर क्या किया जाये?

- यदि PIO आपकी RTI की अर्जी लेने से इनकार करता है;
- यदि समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है;
- यदि PIO नाजायज़ तरीके से अधिक शुल्क माँगता है;
- यदि PIO से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है;
- यदि PIO नाजायज़ तरीके से जानकारी देने से इनकार करता है;
- यदि PIO आपको गलत, गुमराह करनेवाली या आधी अधूरी जानकारी देता है या
- यदि PIO आपकी RTI की अर्जी मिलने के बाद आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी से संबंधित दस्तावेज़ नष्ट कर देता है –

उसी दफ़्तर में 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील करने का आप का अधिकार है। हर PIO के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नामित किया गया है। प्रथम अपील अधिकारी अधिकतम 45 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने के लिये बाध्य हैं। इन अधिकारियों की सूची व पते के लिये वेबसाइट देखें –

केन्द्र सरकार – http://rti.gov.in/
राज्य सरकार – http://jkgad.nic.in/PIOAPIO.shtml

या संम्बधित इन्फॉर्मेशन कमीशन में लिखित रूप से शिकायत करें।

जम्मू और कश्मीर या स्थानीय प्रशासन के दफ़्तरों के बारे में शिकायत जम्मू और कश्मीर इन्फॉर्मेशन कमीशन को भेजें।

Jammu: The State Chief Information Commissioner, Jammu and Kashmir State Information Commission, Wazarat Road, near DC Office, Jammu – 180001 Tel: 0191- 2520927/ 2520947/ 2520937

Srinagar: The State Chief Information Commissioner, Jammu and Kashmir State Information Commission, Old Assembly Building, Old Secretariat Complex, Srinagar – 190001 Tel/Fax: 0194 - 2484268
Email: informationcommission@gmail.com Website: www.jksic.nic.in

केंद्र सरकार के दफ़्तरों के मामले में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को अपनी शिकायत भेजें।

The Registrar
Central Information Commission
Club Building, Old JNU Campus, New Delhi-110 067
Tel: 26161137 Fax: 26186536

अगर आप प्रथम अपीलिय अधिकारी के आदेश से सन्तुष्ट नहीं हैं तो संबंधित सूचना आयोग में दूसरा अपिल भी दायर कर सकते हैं।

अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सूचना आयोग मामले की जांच के लिये संबंधित अधिकारियों को बुला सकता है व दस्तावेज़ों को मंगवा सकता है।

ऊपर बतायी गयी परिस्थियों में जांच के ज़रिये यदि PIO को दोषी पाया जाता है तो वह दंड का हकदार होगा। सूचना आयोग प्रति दिन 250/- रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000/- रुपये तक का जुर्माना PIO से वसूल कर सकता है। यदि कोई PIO लगातार इस कानून का उल्लंघन करता हो तो इन्फॉर्मेशन कमीशन उसके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभाग को आदेश दे सकता है।

कोई अपील या शिकायत के मामले में जानकारी क्यों नहीं दी जाएगी यह साबित करने की ज़िम्मेदारी PIO की है। आप को जानकारी मांगने के कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कमिशन जानना चाहे तो जानकारी की प्रकटन के पक्ष में आप लोक हित का दावा कर सकते हैं।

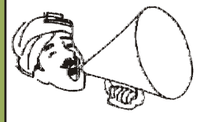

चुनौती – आपके लिये!
आज देश भर में, सैकडों नागरिक, सरकार से हिसाब माँगने लगे हैं। क्या आप इस जन अभियान से नहीं जुड़ेंगे?अपने जानने के हक का प्रयोग करें और अपने विकास की दिशा खुद तय करें।

Supported by:

Friedrich Naumann STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

For more information please contact:

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
बी–117, 2nd फ्लोर, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110017
फोन नं.: 011.43180201, 43180211, फैक्स नं.: 011–26864688
ई–मेलः info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

Balwinder Singh - 94191 95295 (मो)
Raman Sharma - 97968 11012 (मो)
Ayaz Mughal - 97975 82733 (मो)

KNOW R.T.I NO CORRUPTION
Sangarsh RTI MOVEMENT IN JK

पताः हॉल नं 301, A/2 साउथ ब्लॉक, बहू प्लाज़ा, जम्मू–180004
ईमेलः jkrtiact@gmail.com; balirti_social@yahoo.com

(संरचना, संपादन एवं फॉर्मेटिंगः वेंकटेश नायक, अमिकर परवार, बलविंदर सिंह, रमण शर्मा एवं अश्वनी कुमार सैनी, नवंबर 2011)

सूचना का अधिकार

जम्मू और कश्मीर

मार्गदर्शिका

क्या आप जानना चाहते हैं?

- आप के पड़ोस में सड़कें खराब हालत में क्यों हैं? उनकी मरम्मत के लिए कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ?
- सरकारी कार्यालयों में कितने पद खाली हैं और उन्हें भरने के लिए अखबारों में इश्तेहार देने की ज़िम्मेदारी किसकी है?
- सरकारी अस्पतालों में आप को किस प्रकार की सेवाएं मिलनी चाहिए?
- "स्टेट सब्जेक्ट" होने का प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया क्या है और पात्रता के क्या मापदंड हैं?
- राशन की दूकान (सी.ए.पी.डी. स्टोर) पर राशन क्यों नहीं मिलती है?
- जम्मू और कश्मीर में कौन कौन सी कल्याणकारी एवं पेंशन योजनाएं लागू की जा रहीं हैं?

क्या आपने इन सवालों के जवाब सरकारी दफतरों से मांगने की कोशिश की है फिर भी बार बार आप खाली हाथ लौट आए?

शायद बार बार दफ़्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला होगा।

लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। 20 मार्च 2009 से पूरे जम्मू और कश्मीर में **जम्मू और कश्मीर राईट् टु इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009** लागू किया गया है। सरकारी दफतरों के कामकाज के बारे में आप के द्वारा मांगी गई जानकारी और आप के सवालों के जवाब अब अफ़सरों को देने होंगे।

जानकारी लेना – हमारा मौलिक अधिकार
जानकारी देने के लिए – सरकार ज़िम्मेदार

हमारे राज्य में लोक तंत्र कायम है। छः सालों के लिए हम सरकार को चुनते हैं। बाज़ार से जब कभी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके क़ीमत के साथ साथ बिक्री कर/वैट या एक्साइज़ शुल्क भी अदा करते हैं। जम्मू और कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर व्यक्ति कोई न काई टैक्स भरता है।

आप से वसूले गए टैक्स के पैसे से सरकारी अफ़सरों को तंख्वा दी जाती है और विकास योजनाएं चलायीं जाती हैं।

तो जब सरकार आपकी और पैसा आपका तो हिसाब किसका?

जम्मू और कश्मीर राईट् टु इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 के तहत

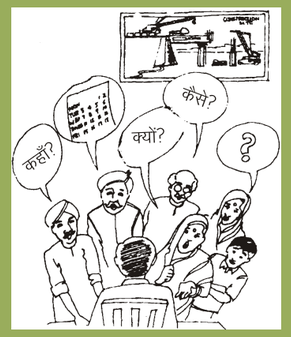

- आप पंचायत से लेकर मुख्य मंत्री और राज्यपाल के दफ़्तर तक किसी भी सरकारी दफ़्तर से जानकारी मांग कर ले सकते हैं।
- सभी सरकारी दफ़्तरों में लागों से RTI application (दरख्वास्त) लेने के लिए PIO (पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफ़सर) नामित किए गए हैं।
- हर **लोक सूचना अधिकारी** आपको सूचना देने के लिये बाध्य है।

संसद द्वारा पारित **राईट् टु इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005** के तहत आप केंद्र सरकार और सभी अन्य राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्वयं दी जानेवाली जानकारी

राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित हर एक महकमा (पब्लिक अथॉरिटी), मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, कार्पोरेशन, कम्पनी या बैंक आदि, नीचे बतलाई गई जानकारी, आप को स्वयं देंगे :

- दफ्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य, शक्तियाँ और तंख्वा।
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों के पालन के लिये स्थापित मापदंड।
- अपने कामकाज में इस्तेमाल किये जाने वाले नियम, विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशों का ब्योरा।
- अपने दफ़्तर में उपलब्ध सभी दस्तावेज़ों के प्रवर्गों की सूची।
- सभी योजनाओं के लिये प्रस्तावित बजट, आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट।
- कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने का तरीका, लाभार्थियों की सूची तथा आवंटित धनराशि।
- अपने द्वारा दिये गये रियायतों व परमिटों को प्राप्त करने वालों की सूची।
- PIO, Assistant PIO और प्रथम अपील अधिकारी (फ़र्स्ट एपिलेट अथारिटी) के नाम और पदनाम

यह सारी जानकारी हर PIO के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ध होगी। आपके द्वारा मांगे जाने पर PIO को यह सूचना तुरंत प्रिंटाउट या फोटोकॉपी के माध्यम से देनी पड़ेगी। RTI की अर्जी या अर्जी **शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। केवल रु 2/– प्रति पेज के हिसाब से शुल्क देना होगा।**

जम्मू और कश्मीर RTI कानून के तहत :–

- किसी भी सरकारी फाईल या दस्तावेज़ का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और नोट्स या एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं।
- किसी भी दस्तावेज़ की प्रमाणित कॉपी या एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं।
- किसी भी लोक निर्माण कार्य (सड़क, भवन, आदि) का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (सी.डी., पैन ड्राईव, या ईमेल) में उपलब्ध जानकारी की प्रति ले सकते हैं।

अन्य जानकारी लेने की प्रक्रिया

स्वयं दिए जानेवाले जानकारी के अलावा अन्य प्रकार की सूचनायें भी PIO से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे – कोई भी अभिलेख, ज्ञापन, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, कान्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, मॉडल आदि।

- जिस दफ़्तर में आप के द्वारा चाही गई जानकारी मौजूद है उस दफ़्तर के PIO या Assistant PIO के पास रु. 50 अर्ज़ी शुल्क के साथ लिखित में अपनी दरख्वास्त जमा करना होगा। दरख्वास्त को डाक या ई–मेल के माध्यम से भी भेजा सकता है। इस के अलावा आप अपनी दरख्वास्त रु. 50 के नॉन् जुडिशियल् स्टैम्प पेपर पर भी लिखकर जमा कर सकते हैं। ऐसे करने पर फिर से अर्ज़ी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह तरीका केवल राज्य सरकार के दफ़्तरों के लिए लाज़मी है। केंद्र सरकार के दफ़्तरों को अपनी दरख्वास्त सादे कागज़ पर लिखकर रु. 10 अर्ज़ी शुल्क के साथ भेजें। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं। बी.पी.एल. आवेदकों को मांगी गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी)
- बाजू में प्रस्तावित प्रारूप में आप सादे कागज पर भी आवेदन पत्र लिखकर जमा कर सकते हैं। RTI अर्ज़ी के लिए मुद्रित फॉर्म का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। आप के द्वारा सादे कागज़ पर हस्तलिखित या टाईप की गई RTI अर्ज़ी को लेने के लिए PIO बाध्य है।

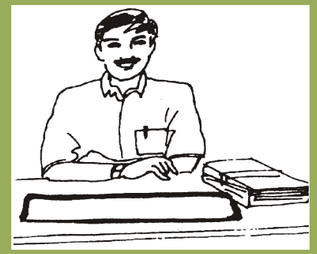

PIO के पास आपसे जानकारी माँगने का कारण पूछने का अधिकार नहीं है। कारण बताये बिना आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप माँग सकते हैं।

- RTI की अर्ज़ी जमा होते ही उसके लिए प्राप्ति रसीद देना PIO की ज़िम्मेदारी है।
- यदि आप के द्वारा मांगी गई जानकारी PIO के दफ़्तर में उपलब्ध नहीं है तो उस PIO की यह ज़िम्मेदारी होगी कि आप की अर्ज़ी किसी अन्य दफ़्तर में जहां वह जानकारी मौजूद है, 5 दिनों के भीतर रवाना (transfer) करें। इस बारे में आप को लिखित में बताना भी PIO की ज़िम्मेदारी है। आप को दोबारा अर्ज़ी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है।
- दस्तावेज़ों के फोटोकॉपी लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क (additional fee) देना होगा। इसके बारे में PIO आप को लिखित में सूचित करेगा। (दस्तावेजों की फोटोकॉपी या फ्लॉपी/सी.डी. के लिये शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं)
- यदि आप की समझ में अतिरिक्त शुल्क नियमानुसार नहीं है तो आप प्रथम अपील अधिकारी (फ़र्स्ट एपिलेट अथारिटी) को अपील या इन्फॉर्मेशन कमिशन में शिकायत भेज सकते हैं। (पता पिछले पन्ने पर देखें)
- आवेदन पत्र जमा होने के 30 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिये बाध्य है। (यदि RTI की अर्ज़ी ट्रान्सफर हुई है तो 5 दिन और बढ़ेंगे)

अगर मांगी गयी जानकारी किसी व्यक्ति के जीवित रहने से या उसकी आज़ादी से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर देनी होगी।

Form – 1

[See rule 4(1)]

Application form under Right to Information Act, 2009

I.D. NO._____ (For official use)
Date: _____

To

The Public Information Officer,
_____ Department

Subject:-Request for Information under J&K Right to Information Act, 2009.

1. Name of the Applicant :
2. Address :
3. Particulars of the Information :
   a. Department :
   b. Information required :

4. I State that the information sought does not fall within restrictions contained in section 8 and 9 of the Act and to the best of my knowledge it pertains to your Department.
5. A fee of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) towards Application Fee has been paid in the form of Non-Judicial Stamp Paper/Demand Draft/Chaque/Postal Order/Treasury Receipt etc.
6. Further, I also undertake to pay any additional fees/charges (if applicable) as prescribed under the Right to Information Act and or relevant Rules.

(Signature of the Applicant):
Telephone No:
Fax No:
Email Address:

1. No fee is required to be paid if application written on Non-Judicial Stamp paper of Rs. 50/-.
2. No fee shall be charged from person living below poverty line for information under rule 6 and rule 7.
3. The fee shall be deposited in the Government Treasury under "Major Head: 0070 – other Administrative Services"

- इसके अलावा आप लिखित दरख्वास्त व अर्जी शुल्क देकर संबंधित दफ़्तर में दस्तावेज़ों का इन्सपेक्शन भी कर सकते हैं। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं। बी.पी.एल. आवेदकों को मांगी गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी)

परंतु PIO जानकारी देने से इनकार कर सकता है, अगर –

- माँगी गयी सूचना देने से देश की संप्रभुता, अखंडता सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है या कोई अपराध करने को प्रेरित करता है **या**
- जिसके प्रकटन से संसद के या राज्य विधान मंड़ल के विशेषाधिकारों का हनन होता है **या**
- जिसके प्रकटन से न्यायालय की निंदा होती है या जिसके खुलासे पर किसी न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है **या**
- जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा हो सकता है **या**
- कोई ट्रेड़ सीक्रेट या कोई ऐसी गोपनीय रखी जाने योग्य व्यापार संबंधित जानकारी जिसके प्रकटन से किसी के प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है **या**
- वकील या डाक्टर जैसे व्यक्ति को विश्वास के आधार पर प्राप्त जानकारी **या**
- जानकारी के बताये जाने से अपराधों की तहकीकात में या अपराधियों को पकड़ने में बाधा पैदा होती है **या**
- कोई व्यक्तिगत सूचना जिसका संबंध किसी लोक हित या लोक कार्य से नहीं है।

लेकिन इन छूटों के दायरे में आने के बावजूद अगर जानकारी देने में लोक हित ज़्यादा है और अन्य हितों को होने वाला नुकसान कम है तो ऐसी जानकारी दी जायेगी।